संख्या 3 / 2026/1996 /सत्रह-म-2025-17-1099/92/2025

प्रेषक,

राम चरन राम

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक

मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2026

विषय- मत्स्य निदेशालय के जीर्णोद्वार/ पुनर्विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से 298.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1558/तक0शा0/ अनुरक्षण 2025-26 दिनांक 24.12.2025 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मत्स्य निदेशालय के जीर्णोद्वार/ पुनर्विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान के मानक मद 01- वेतन मद से धनराशि रू0 198.00 लाख एवं 03- मंहगाई मद से 100.58 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 298.58 लाख का अनुदान संख्या-17-लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान, 29- अनुरक्षण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान के मानक मद 01- वेतन मद से धनराशि रू0 198.00 लाख एवं 03- मंहगाई मद से 100.58 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 298.58 लाख का अनुदान संख्या-17-लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान, 29- अनुरक्षण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य महानिदेशक मत्स्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) भविष्य में इस प्रकार के मदों के व्यय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक मत्स्य का होगा।

(5)जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया

जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 -यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न **आर.ई.संख्या–बजट**-1-222, **दिनाँक** 08.01.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by RAMCHARAN RAM
Date: 12-01-2026 12:08:34

भवदीय,

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

संख्या 3 /2026/ 1996/ सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।

(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।

(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A017-20252026-17-1099-92-2025

विषय:- मत्स्य निदेशालय के जीर्णोद्वार/ पुर्नविकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 298.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान सख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली . धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	24050000 10300 (अधिष्ठान)	03 (मंहगाई भत्ता)	7,58,36,000 रुपये सात करोड़ अट्ठावन लाख छत्तीस हजार मात्र	1,00,58,000 रुपये एक करोड अट्ठावन हजार मात्र	1,00,58,000 रुपये एक करोड अट्ठावन हजार मात्र	10058000 -	65778000 -	2025-2026
017	24050000 10300 (अधिष्ठान)	01 वेतन	12,63,94,000 रुपये बारह करोड़ तिरसठ लाख चौरान्नबे हजार मात्र	1,98,00,000 रुपये एक करोड अट्ठानबे लाख मात्र	1,98,00,000 रुपये एक करोड अट्ठानबे लाख मात्र	1,98,00,000 -	106594000 -	2025-2026

Digitally signed by
RAHUL KUMAR
Date: 07-01-2026
12:46:21

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान सख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष	वित्तीय वर्ष

						अनुदान / विनियोग	
017	2405000010300 (अधिष्ठान)	29 (अनुरक्षण)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2,98,58,000 रुपये दो करोड अट्ठानबे लाख अट्ठावन हजार मात्र	29858000 -	32358000 -	2025-2026
कुल				₹02,98,58,000			

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- बचत की जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्याः आर ई-< बजट-1-222 > -2025-26, दिनांक- 08-01-2026 ~~दिसंबर, 2025~~

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0 प्रयागराज।

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

(राहुल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या : < > / < >, < > दिनांक- दिसंबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।

(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।

(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राम चरन राम)

अनु सचिव।